



Neutral Citation No - 2026:AHC:31074

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या - 2025 की 15762

मेजर डॉ. संजय श्रीवास्तव

.....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ तथा 4 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता :- अनिल कुमार यादव

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता :- दिनेश वरुण, भारत के अपर महान्यायाभिकर्ता, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

7 सम्बद्ध मामलों सहित

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1 मुख्य एवं सम्बद्ध रिट याचिकाओं में रिट याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार यादव के साथ श्री मुक्तेश्वर मिश्रा, श्री आलोक मिश्रा, श्री गौरव श्रीवास्तव, श्री पी.के. अवस्थी, प्रतिवादी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल, तथा प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण श्री दिनेश वरुण, श्री वेद मणि तिवारी एवं श्री जितेन्द्र प्रकाश यादव को सुना गया।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2. चूँकि रिट याचिकाओं के इस समूह में तथ्य एवं विधि के समान प्रश्न अन्तर्गस्त हैं, अतः पक्षकारों की सहमति से रिट याचिकाओं को समेकित किया जाता है तथा एक संयुक्त आदेश द्वारा निर्णीत किया जा रहा है।

3. प्रतिपक्षी पक्षकारों के अधिवक्तागण ने संयुक्त कथन किया है कि वे कोई अतिरिक्त शपथ-पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं करते, अतः पक्षकारों की सहमति से रिट याचिकाएँ प्रारम्भिक प्रक्रम पर निर्णीत की जा रही हैं।

4. रिट याचिकाओं में यथा अभिवर्णित मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि रिट याचिकाकर्ता(गण), विभिन्न तिथियों पर नियुक्त जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, बुलन्दशहर हैं, जो 60 वर्ष की सेवा की समाप्ति के उपरांत 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक कार्य करने हेतु सेवा-विस्तार की याचना कर रहे हैं। रिट याचिकाकर्तागण की नियुक्तियाँ/नियोजन को दर्शाने वाली सारणी निम्नानुसार है:

रिट याचिकाएँ	नियोजन दिनांक
मुख्य रिट याचिका	20.10.2009
सम्बद्ध स-1 रिट याचिका	06.07.2022
सम्बद्ध स-2 रिट याचिका	19.03.2021, 06.07.2022, 25.02.2023, 07.02.2020
सम्बद्ध स-3 रिट याचिका	01.04.2021
सम्बद्ध स-4 रिट याचिका	07.02.2020
सम्बद्ध स-5 रिट याचिका	19.03.2021, 06.07.2022, 02.08.2022
सम्बद्ध स-6 रिट याचिका	07.03.2020
सम्बद्ध स-7 रिट याचिका	05.04.2021

5. रिट याचिकाकर्तागण के अनुसार, दिनांक 06.08.2009 को भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के पदावधि आधार पर 60 वर्ष की आयु तक नियोजन के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किए गए, तत्पश्चात् दिनांक 26.12.2023 को पूर्ववर्ती दिशा-निर्देश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



दिनांकित 06.08.2009 के अधिक्रमण में, नियुक्तिप्राप्त जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारियों की सेवाओं का संबंधित अधिकारियों के संतोषजनक कार्यनिष्पादन के अधीन 60 वर्ष की आयु तक जारी रहना उपबंधित किया गया तथा निदेशक, सैनिक कल्याण-सह-सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड की पदावधि पाँच वर्ष की अवधि के लिए उपबंधित थी, और तत्पश्चात् 13.08.2024 को पूर्ववर्ती दिशा-निर्देशों के अधिक्रमण में, निदेशक, सैनिक कल्याण-सह-सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड/जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (जे.एस.डब्ल्यू.ए.) की पदावधि 65 वर्ष तक विस्तारित कर दी गई। इस प्रकार, रिट याचिकाकर्तागण, जो यद्यपि दिशा-निर्देश दिनांकित 13.08.2024 निर्गत किये जाने से पूर्व नियुक्त किये गए थे, 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक सेवा में बने रहने के अधिकारी हैं। अपन दावे को पुष्ट करने के लिए रिट याचिकाकर्तागण परिशिष्ट-B आदर्श करार प्रपत्र-II का आश्रय लेना चाहते हैं जिससे यह तर्क दिया जा सके कि उक्त आदर्श करार का खंड-11, जो कि वस्तुतः सांविधिक प्रकृति का है, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के रूप में कार्यरत रिट याचिकाकर्तागण को सेवा-शर्तों में भविष्य में होने वाले सुधार से संरक्षण प्रदान करता है।

6. तर्क यह है कि एक बार दिशा-निर्देश दिनांकित 13.08.2024 के आधार पर जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी की पदावधि 60 वर्ष से वर्धित कर 65 वर्ष कर दिए जाने पर, रिट याचिकाकर्तागण 65 वर्ष तक सेवा जारी रखने के अधिकारी हैं, विशेष रूप से चूँकि दिशा-निर्देश दिनांकित 06.08.2009 एवं 26.12.2013, दिनांक 13.08.2024 के दिशा-निर्देशों द्वारा अधिक्रमित हो चुके हैं। **बी. प्रभाकर राव एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य आदि; 1985 Supp1 SCC 432, मनीष गुप्ता एवं अन्य बनाम अध्यक्ष, जन भागीदारी समिति एवं अन्य; 2022 (15) SCC 540 तथा षष्ठी दत्त शास्त्री एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य; 2012 (8) ADJ 156 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित निर्णयों पर भी अवलंब लिया गया है।**

7. रिट याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का खंडन करते हुए प्रतिवादियों के अधिवक्तागण ने निवेदन किया है कि रिट याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता द्वारा उठाया गया कोई भी तर्क इस सरल कारण से वैधानिक आधार नहीं रखता कि 60 से 65 वर्ष तक की आयु में वृद्धि दिशा-निर्देश दिनांकित 13.08.2024 पर आधारित है तथा उक्त दिशा-निर्देश यह उपबंध करते हैं कि

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



निदेशक, सैनिक कल्याण-सह-सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड/जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (जे.एस.डब्ल्यू.ए.) की पदावधि 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पूर्वतर हो, की अवधि के लिए होगी, जिसका अर्थ यह है कि यदि जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी ने पाँच वर्ष से अधिक कार्य किया है तो उसे 65 वर्ष की आयु से परे बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि पूर्ववर्ती शर्त यह है कि पदावधि 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पूर्वतर हो, की अवधि के लिए होगी।

8. संक्षेपतः, तर्क यह है कि यद्यपि रिट याचिकाकर्तागण दिशा-निर्देश दिनांकित 06.08.2009 अथवा 26.12.2013 के आधार पर नियुक्त किए गए थे, तथापि वे दिशा-निर्देश दिनांकित 13.08.2024 के आधार पर 60 से 65 वर्ष की आयु तक के विस्तार का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेखों का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया।

10. प्रतिद्वंद्वी पक्षकारों के तर्कों की सुग्राह्यता के संबंध में किसी जाँच का सूत्रपात करने से पूर्व दिशा-निर्देशों का सूक्ष्म सर्वेक्षण करना समीचीन होगा। विषयगत दिशा-निर्देशों का सुसंगत उद्धरण निम्नवत् है:-

"पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु दिशा-निर्देश: राज्य सैनिक बोर्ड/जिला सैनिक बोर्ड, सैनिक कल्याण विभाग/जिला सैनिक कल्याण विभाग दिनांक - 06.08.2009"

3. पात्रता मानदण्डः

समस्त कर्मचारी प्रारंभ में दो वर्ष के लिए पदावधि आधार पर नियोजित किए जाएंगे, जो संतोषजनक कार्यनिष्पादन के अधीन एक बार में दो वर्ष के लिए विस्तारणीय होगा, किंतु किसी भी दशा में समूह 'ग' एवं 'घ' हेतु कुल वर्षों अथवा 60 वर्ष की आयु,

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



जो भी पूर्वतर हो, तथा समूह 'क' एवं 'ख' पदों हेतु छः वर्ष अथवा 60 वर्ष की आयु, जो भी पूर्वतर हो, से परे विस्तारणीय नहीं होगा।

d. चयन के समय भूतपूर्व सैनिकों की आयु 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।"

विषय: राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों में निदेशक, सैनिक कल्याण-सह-सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड तथा अपर निदेशक, सैनिक कल्याण-सह-जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति हेतु दिशा-निर्देश दिनांकित - 26.12.2013

3. पात्रता मानदण्ड:

निदेशक, सैनिक कल्याण-सह-सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड तथा अपर निदेशक, सैनिक कल्याण-सह-जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों के नियोजन हेतु पात्रता मानदण्ड निम्नानुसार होंगे:-

(a) अभ्यर्थी भारतीय सशस्त्र बलों से पदनिवृत्त/सेवोन्मुक्त भूतपूर्व सैनिक अथवा भूतपूर्व सैनिकों की विधवाएँ/आश्रित होने चाहिए। तीनों सेवाओं के नियोजन अभिकरणों एवं पुनर्वास मन्त्रालय के साथ अपना पंजीकरण कराने की अनुमति प्राप्त समस्त अधिकारियों को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के निबंधनों अनुसार, पुनर्नियोजन के प्रयोजन से पैनल में सम्मिलित करने हेतु विचार किया जाएगा।

(b) अभ्यर्थियों का सेवा-अभिलेख स्वच्छ एवं चरित्र उत्तम होना चाहिए।

(c) जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों (जे.एस.डब्लू.ओ.) के पद हेतु निर्णायक तिथि पर भूतपूर्व सैनिकों की आयु 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा निदेशक, सैनिक कल्याण-सह-सचिव, आर.एस.बी. के पद हेतु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(d) नियुक्तिप्राप्त जे.एस.डब्लू.ओ. की सेवाएँ संबंधित अधिकारी के संतोषजनक कार्यनिष्पादन के अधीन 60 वर्ष की आयु तक जारी रह सकती हैं। निदेशक, सैनिक कल्याण-सह-सचिव, आर.एस.बी. की पदावधि 5 वर्ष के लिए होगी।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(e) इन दिशा-निर्देशों द्वारा अच्छादित समस्त पदों के लिए आवेदकों की पात्रता के परिकलन हेतु किसी भी रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी निर्णायक तिथि होगी।

विषय - राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों में निदेशक, सैनिक कल्याण-सह-सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड तथा अपर निदेशक, सैनिक कल्याण-सह-जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (जे.एस.डब्लू.ओ.) की नियुक्ति हेतु दिशा-निर्देश दिनांकित - 13.08.2024

3. पात्रता मानदण्ड -

निदेशक, सैनिक कल्याण-सह-सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड तथा अपर निदेशक, सैनिक कल्याण-सह-जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों के चयन एवं नियोजन हेतु पात्रता मानदण्ड निम्नानुसार

होंगे : -

(a) अभ्यर्थी भारतीय सशस्त्र बलों से पदनिवृत्त/सेवोन्मुक्त भूतपूर्व सैनिक अथवा भूतपूर्व सैनिकों की विधवाएँ/आश्रित होने चाहिए। (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की भूतपूर्व सैनिक परिभाषा के अनुसार) समस्त पात्र भूतपूर्व सैन्य अधिकारी, जिन्हें पुनर्वास के प्रयोजन से तीनों सेवाओं के नियोजन अभिकरणों एवं पुनर्वास महानिदेशालय के साथ अपना पंजीकरण कराने की अनुमति है अथवा जिन्होंने राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों द्वारा जारी विज्ञापन के उत्तर में आवेदन किया है, को अभ्यर्थियों के पैनल में सम्मिलित करने हेतु विचार किया जाएगा। निम्नलिखित रैंक के अभ्यर्थियों को उपर्युक्त पदों के लिए विचार किया जाएगा: -

(i) निदेशक, डी.एस.डब्लू./सचिव, आर.एस.बी. के पद हेतु ब्रिगेडियर रैंक के अथवा नौसेना या वायुसेना से समकक्ष रैंक के भूतपूर्व सैन्य अधिकारी को निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग के रूप में चयनित किया जाए। यदि ब्रिगेडियर अथवा समकक्ष रैंक के उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हों तो कर्नल अथवा नौसेना एवं वायुसेना के समकक्ष रैंक के अधिकारियों का चयन किया जा सकता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(ii) अपर निदेशक, डी.एस.डब्लू./जे.एस.डब्लू.ओ. के पद हेतु। कर्नल/लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अथवा नौसेना या वायुसेना से समकक्ष रैंक के भूतपूर्व सैन्य अधिकारी को अपर निदेशक/जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के रूप में चयनित किया जाए। यदि कर्नल/लेफ्टिनेंट कर्नल अथवा समकक्ष रैंक के उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हों तो मेजर अथवा नौसेना एवं वायुसेना में समकक्ष रैंक के अधिकारियों का चयन किया जा सकता है।

(iii) उपर्युक्त उप-उपखंड (i) एवं (ii) के अनुसार उपयुक्त अधिकारी की अनुपलब्धता की स्थिति में, के.एस.बी. के माध्यम से रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग से शिथिलन प्राप्त किया जाएगा।

(b) अभ्यर्थियों का पूर्व सेवा-अभिलेख स्वच्छ एवं चरित्र उत्तम होना चाहिए।

(c) जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (जे.एस.डब्लू.ओ.) के पद हेतु निर्णायक तिथि पर अभ्यर्थी की आयु 59 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा निदेशक, सैनिक कल्याण-सह-सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड के पद हेतु निर्णायक तिथि पर 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(d) निदेशक, सैनिक कल्याण-सह-सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड/जे.एस.डब्लू.ओ. की पदावधि पाँच वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पूर्वतर हो, के लिए होगी, जो संबंधित अधिकारी के संतोषजनक कार्यनिष्पादन के अधीन होगी।

(e) इन दिशा-निर्देशों द्वारा आच्छादित समस्त पदों के लिए आवेदकों की पात्रता के परिकलन हेतु किसी भी रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी निर्णायक तिथि होगी।

(f) अभ्यर्थियों को पुनर्वास महानिदेशालय अथवा ई.सी.एच.एस. अथवा आर.एस.बी./जे.एस.बी. अथवा किसी अन्य सरकारी नियोजन (भूतपूर्व सैनिक कोटे के अंतर्गत) से कोई अन्य भूतपूर्व सैनिक पुनर्वास अथवा नियोजन लाभ प्राप्त नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा इस आशय का परिवचन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है (प्रारूप परिशिष्ट-A पर रखा गया है)।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(g) किसी भूतपूर्व सैन्य अधिकारी की अनुपलब्धता की स्थिति में भूतपूर्व सैनिक की विधवा/आश्रित को इन पदों के लिए विचार किया जा सकता है। तथापि, पदों की पात्रता हेतु उन्हें निम्नलिखित अतिरिक्त मानदण्डों को पूर्ण करना होगा:-

(i) निदेशक, डी.एस.डब्ल्यू./आर.एस.बी. के पद हेतु:

(aa) आयु: निर्णायक तिथि को न्यूनतम 55 वर्ष।

(ab) शैक्षणिक अर्हता: केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर।

(ac) अनुभव: केन्द्रीय/राज्य सरकार के किसी संगठन/सार्वजनिक उपक्रम में निदेशक/समकक्ष से अन्यून पद पर कर्तव्यों का निर्वहन किया होना चाहिए तथा अंतिम आहरित वेतन 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-13 के समतुल्य होना चाहिए।

(ii) जे.एस.डब्ल्यू.ओ. के पद हेतु:

(aa) आयु: निर्णायक तिथि को न्यूनतम 50 वर्ष

(ab) शैक्षणिक अर्हता: केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।

(ac) अनुभव: किसी केन्द्रीय/राज्य सरकार के संगठन/सार्वजनिक उपक्रमों में संयुक्त निदेशक/समकक्ष से अन्यून पद पर कर्तव्यों का निर्वहन किया होना चाहिए तथा अंतिम आहरित वेतन 7वें सी.पी.सी. के अनुसार वेतन स्तर-12 के समतुल्य होना चाहिए।

(iii) रक्षा संगठनों में अनुभव रखने वाली विधवाओं/आश्रितों को वरीयता दी जा सकती है।

11. मुख्य रिट याचिका में रिट याचिकाकर्ता के नियुक्ति-आदेश का सुसंगत उद्धरण निम्नवत् है:

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



"उत्तर प्रदेश शासन

सैनिक कल्याण अनुभाग

संख्या-1127/48-2009-12 (17)/99 टी.सी. II

लखनऊ: दिनांक: 20 अक्टूबर, 2009,

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की संविदा पर जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, वेतनमान रु० 15600-39100 (ग्रेड पे-5400) के पद पर स्तम्भ-3 में अंकित जनपद में तैनात करने के आदेश प्रदान करते हैं:-

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	तैनाती का जनपद
1.	2	3
1.	ले० कर्नल दिलीप कुमार दास	मेरठ
2.	मेजर बीरेन्द्र सिंह तोमर	रायबरेली
3.	कर्नल इन्दु प्रभाकर सिंह	उपनिदेशक, निदेशालय
4.	मेजर राम मोहन पाण्डेय	गोरखपुर
5.	कमाण्डर राजेन्द्र कुमार	हाथरस
6.	कर्नल कन्हैया लाल पाठक	इलाहाबाद
7.	मेजर विजय पाल सिंह	मथुरा
8.	मेजर संजय श्रीवास्तव	मुजफ्फर नगर
9.	मेजर विनोद कुमार सिंह	बिजनौर
10.	विंग कमाण्डर महेश चन्द्र पाण्डेय	रामपुर
11.	ले० कर्नल अरविन्द कुमार	अलीगढ़
12.	कर्नल अनिल कुमार	मुरादाबाद
13.	मेजर शिव विजय सिंह	कानपुर देहात
14.	मेजर रामेश्वर यादव	देवरिया

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2-श्री राज्यपाल महोदय उक्त अधिकारियों की सेवा शर्तें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्न प्रकार निर्धारित करते हैं:-

(1) उक्त पुनर्नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की संविदा पर होगी, बशर्तें श्री राज्यपाल महोदय द्वारा एक माह की नोटिस अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर या अधिकारी द्वारा एक माह की नोटिस देने पर उसके पूर्व समाप्त न कर दी जाय।

(2) उक्त अवधि के बाद इनकी संविदा न बढ़ाये जाने की दशा में उक्त संविदा स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) पुनर्नियुक्ति की अवधि में उक्त अधिकारियों का वेतन स्वीकृत पदों के वेतनमान के आधार पर स्वीकृत नहीं किया जायेगा, बल्कि निपुण्यता की अवधि ने अधिकारियों को उनके द्वारा सेना से सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन की धनराशि में से उनकी शुद्ध पेंशन (राशिकरण के पूर्व) घटाकर प्राप्त शेष में उपेक्षित पेंशन को जोड़कर निर्धारित नियत वेतन अनुमन्य होगा। इन अधिकारियों की शुद्ध पेंशन के बारे में जानकारी महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा सीधे कंट्रोलर आफ डिफेन्स एकाउन्ट्स पेंशन, इलाहाबाद से प्राप्त की जायेगी। इन अधिकारियों की पेंशन भी सेना से प्राप्त होती रहेगी। इनको पुनर्नियोजित पद पर अनुमन्य शुद्ध वेतन तथा शुद्ध पेंशन के योग पर भत्ते निम्न प्रतिबन्धों के साथ देय होंगे:-

(क) वेतन निर्धारण में सैनिक पेंशन की उपेक्षित धनराशि पर कोई भी भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

(ख) यदि शुद्ध वेतन वन शुद्ध पेंशन का योग पुनर्नियोजित पद के वेतनमान के अधिकतम से अधिक या अन्तिम आहरित वेतन से अधिक हो जाता है, तो मंहगाई एवं अन्य भत्ते वेतनमान के अधिकतम या अन्तिम आहरित वेतन, जो भी कम हो, पर देय होंगे।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(4) उक्त सभी अधिकारी प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी होंगे। उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात राजकीय कार्यों से संबंधित यात्राओं के लिए उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता देय होगा, परन्तु पद ग्रहण तथा नियुक्ति की समाप्ति के समय उन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(5) वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2, भाग-2-4 के सहायक नियम-157 (ए) के अधीन तथा तदविषयक समय-समय पर निर्गत सामान्य आदेशों के अनुसार उन्हें अस्थायी कर्मचारियों के अनुसार अवकाश देय होगा।

(6) संविदा पर नियुक्त इन अधिकारियों का स्टेट्स अस्थायी राज्य कर्मचारियों की तरह होगा।

(7) अन्य मामलों में भी उन्हें अस्थायी कर्मचारियों की भांति माना जायेगा।

(8) उपर्युक्त शर्तों के अधीन अधिकारी को वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग-2-4 के परिशिष्ट-बी में दिये गये अनुबन्ध पत्र का निष्पादन कार्यभार ग्रहण करने के 06 माह के अन्दर कर लिया जायेगा।

(9) नियुक्त किये गये अधिकारी को यदि उपर्युक्त शर्तें स्वीकार हो तो

(प्रेम नारायण)

प्रमुख सचिव"

परिशिष्ट 'B'

आदर्श करार प्रपत्र सं. II

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



"खंड-11. इसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रथम पक्षकार, जब तक सरकार द्वारा अन्यथा निर्णीत न किया जाए, इस विलेख की तारीख के पश्चात् सरकार द्वारा लोक सेवा की उस शाखा के सदस्यों की सेवा के निबंधनों और शर्तों में, जिससे वह तत्समय संबद्ध हो, स्वीकृत किसी भी सुधार के लाभों को, सरकार द्वारा प्राधिकृत किए जाने के अनुसार, पूर्णतः अथवा आंशिक रूप में प्राप्त करने का अधिकारी होगा और प्रथम पक्षकार की सेवा के निबंधनों और शर्तों में ऐसे सुधार के संबंध में सरकार का निर्णय इस विलेख के उपबंधों को उसी सीमा तक उपांतरित करने के लिए प्रभावी होगा।"

12. तथ्यों के संबंध में कोई विवाद नहीं है, यह निर्विवाद है कि रिट याचिकाकर्तागण विभिन्न तारीखों पर जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के रूप में नियोजित किए गए थे, प्रारंभ में पदावधि संतोषजनक कार्यनिष्पादन के अधीन दो-दो वर्ष की दो विस्तारणीय अवधियों के लिए थी, यद्यपि जिस समय उन्हें जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के रूप में नियोजित किया गया था, उस समय दिशा-निर्देश दिनांकित 06.08.2009 संतोषजनक कार्यनिष्पादन के अधीन प्रारंभ में एक बार में दो-दो वर्ष की दो विस्तारणीय अवधियों के लिए पदावधि आधार पर नियोजन का उपबंध करते थे, किंतु किसी भी दशा में 60 वर्ष की आयु से परे नहीं। उक्त दिशा-निर्देश दिनांकित 06.08.2009, दिशा-निर्देश दिनांकित 26.12.2013 के आधार पर अधिक्रमित हो गए, जिनके अनुसार नियुक्तिप्राप्त जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारियों की सेवाएँ संबंधित अधिकारियों के संतोषजनक कार्यनिष्पादन के अधीन 60 वर्ष की आयु तक जारी रहनी थीं। तथापि, दिशा-निर्देश दिनांकित 13.08.2024 के आधार पर, पूर्ववर्ती दिशा-निर्देश दिनांकित 06.08.2009 एवं 26.12.2013 अधिक्रमित हो गए और अब जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी की पदावधि संबंधित अधिकारियों के संतोषजनक कार्यनिष्पादन के अधीन 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पूर्वतर हो, की अवधि के लिए होनी निर्धारित की गई।

13. यद्यपि रिट याचिकाकर्तागण ने यह दावा किया कि वे दिशा-निर्देश दिनांकित 13.08.2024 में उपबंधित पदावधि के विस्तार का लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, किंतु प्रतिवादीगण इसे विवादित

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



करते हैं। याचिकाकर्तागण ने दावा किया कि परिशिष्ट-B आदर्श करार प्रपत्र-II के खंड-11 के दृष्टिगत, याचिकाकर्तागण सेवा-शर्तों में समय-समय पर होने वाले किसी भी सुधार के हकदार हैं।

14. उक्त विषय के निराकरण के लिए, दिशा-निर्देश दिनांकित 13.08.2024 में प्रयुक्त भाषा सुसंगत होगी। सुस्पष्ट और सरल रूप में, दिशा-निर्देश दिनांकित 13.08.2024 पूर्ववर्ती दिशा-निर्देशों का अधिक्रमण करते हैं और खंड 3(d), जो पदावधि से संबंधित पात्रता मानदण्ड से संबंधित है, में यह उपबंधित है कि जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी की पदावधि पाँच वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पूर्वतर हो, के लिए होगी। जिसका अर्थ यह है कि ऐसा नहीं है कि 60 वर्ष की आयु की समाप्ति के उपरांत पहले से कार्यरत जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी को स्वयमेव 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक सेवा जारी रखने की अनुमति दे दी जाएगी, अपितु इसके विपरीत स्थिति यह है कि पदावधि पाँच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

15. महत्वपूर्ण रूप से, वर्तमान मामले में, रिट याचिकाकर्तागण अपनी-अपनी नियुक्ति की तारीखों से ही जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के रूप में कार्यरत थे और उन्होंने 5 वर्ष से अधिक कार्य किया था, अतः वे 60 वर्ष की आयु से परे सेवा जारी रखने के हकदार हैं, विशेष रूप से जब उन्होंने 5 वर्ष से अधिक कार्य पूर्ण कर लिया है, जो उसमें प्रयुक्त भाषा के दृष्टिगत 65 वर्ष तक सेवा जारी रखने के उनके दावे को विखण्डित करता है।

16. एक हाल के निर्णय में, **प्रकासन एम.पी. एवं अन्य बनाम केरल राज्य एवं एक अन्य; AIR 2023 SC 4059** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अधिवर्षिता आयु में वर्धन की याचना करने वाले कर्मचारी के अधिकार पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ और निम्नवत् टिप्पणी की गई:

"12. तथ्यों पर कुछ हद तक तुलनीय एक मामले में, जो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एवं अन्य बनाम बी.डी. सिंघल एवं अन्य में उत्पन्न हुआ, अपीलार्थी-प्राधिकरण (नोएडा) ने अपने कर्मचारियों की अधिवर्षिता आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की संस्तुति का संकल्प पारित किया था। उक्त प्रस्ताव को पूर्व अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



किए जाने पर अमान्य कर दिया गया। इससे व्यथित कर्मचारियों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल की जो स्वीकृत की गई और नोएडा को निर्देश दिया गया कि वह विषय पर नए सिरे से विचार करे और अपना प्रस्ताव अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित करे। राज्य सरकार के लिए यह विकल्प खुला छोड़ दिया गया कि वह सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि को उस तारीख से प्रभावी करने पर विचार करे जब नोएडा ने आयु-वृद्धि का वित्तीय भार वहन करने का संकल्प किया था अथवा ऐसी तारीख से जिसे वह समीचीन समझे। इस बार राज्य सरकार ने नोएडा से प्राप्त सेवानिवृत्ति आयु को 60 वर्ष तक वर्धित करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, किंतु उक्त निर्णय को भविष्यलक्षी बनाया। राज्य सरकार द्वारा निर्णय को भूतलक्षी बनाने से इनकार किए जाने से व्यथित होकर, प्रतिवादियों ने लंबित रिट याचिका में संशोधन किया जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार करते हुए निर्णय को भविष्यलक्षी बनाने के उपबंध को अपास्त कर दिया और निर्देश दिया कि ऐसे प्रतिवादी, जो तब तक सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके थे, समस्त पारिणामिक लाभों सहित, विस्तारित सेवानिवृत्ति आयु तक कार्य किया हुआ समझे जाएंगे। उक्त निर्णय को चुनौती देते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिसे इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ स्वीकृत किया गया:

“22. अधिवर्षिता आयु वर्धित की जानी चाहिए अथवा नहीं, यह नीतिगत मामला है। यदि अधिवर्षिता आयु वर्धित करने का निर्णय लिया गया है, तो वह तारीख जिससे वर्धन प्रभावी होना चाहिए, नीति के अधिकार-क्षेत्र में आती है। उच्च न्यायालय ने यह आदेश देने में कि अधिवर्षिता आयु वर्धित करने के प्रस्ताव को स्वीकार करने का राज्य सरकार का निर्णय 29 जून 2002 से प्रभावी होना चाहिए, स्पष्टतः उपर्युक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को, विशेष रूप से (i) 22 सितंबर 2009 को मूल प्रस्ताव की अस्वीकृति; तथा (ii) खंडपीठ के दिनांक 17 जनवरी 2012 के निर्णय, जिसने 22 सितंबर 2009 को प्रस्ताव अस्वीकार करने वाले आदेश को अपास्त करने से इनकार किया था और जिसने अंतिमता प्राप्त कर ली है, को दृष्टि से ओझल कर दिया। किंतु

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर एक और अधिक मूलभूत आपत्ति है। निर्णय में त्रुटि इस तथ्य में निहित है कि उच्च न्यायालय ने नीति-निर्माण के क्षेत्र में अतिक्रमण किया है और उस विषय पर स्वयं अधिकारिता ग्रहण कर ली है जो कार्यपालिका के अधिकार-क्षेत्र में आता है। अधिवर्षिता आयु वर्धित की जानी चाहिए अथवा नहीं और यदि ऐसा है, तो वह तारीख जिससे इसे प्रभावी किया जाना चाहिए, नीति का विषय है जिसमें उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

XXX XXX XXX

24. अधिवर्षिता आयु वर्धित करने का निर्णय नोएडा द्वारा पारित संकल्प की तारीख से प्रभावी होना चाहिए अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन की तारीख से प्रभावी होना चाहिए, यह राज्य सरकार द्वारा निर्णीत किए जाने का विषय था। अंततः, प्रत्येक विच्छेदक तिथि निर्धारित करने में, कुछ कर्मचारी रेखा के एक ओर होंगे जबकि अन्य दूसरी ओर होंगे। कठिनाई का यह तत्व उच्च न्यायालय के लिए यह अभिनिर्धारित करने का आधार नहीं हो सकता कि निर्णय स्वेच्छाचारी था। जब राज्य सरकार ने मूलतः 28 नवंबर 2001 को अपने स्वयं के कर्मचारियों की अधिवर्षिता आयु 58 से 60 वर्ष करने का निर्णय लिया था, तब उसने सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों को उस वित्तीय प्रभाव के आधार पर निर्णय लेने हेतु छोड़ दिया था जो उनके अपने कर्मचारियों की अधिवर्षिता आयु वर्धित किए जाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता।

25. समय-समय पर राज्य के प्राधिकारियों ने प्रत्येक संगठन में विद्यमान सेवा की आवश्यकताओं से संबंधित निर्णय लिया..... राज्य सरकार ने स्पष्टतः यह अवधारित कर लिया था कि वित्तीय भार के प्रभाव पर विचार एवं निर्धारण करना प्रत्येक संगठन का कार्य था, और उसी के आधार पर संगठन को सरकार के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना था।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



26. उच्च न्यायालय का यह अवलोकन कि 30 सितंबर 2012 को अधिवर्षिता आयु को भविष्यलक्षी रूप से वर्धित करने वाला सरकारी आदेश स्वेच्छाचारी है, इस पूर्वधारणा पर आधारित प्रतीत होता है कि नोएडा द्वारा संकल्प पारित किए जाने पर प्रतिवादी-कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि का एक निहित अधिकार प्राप्त हो जाता है। तथापि, अधिनियम की धारा 19 यह उपबंधित करती है कि विनियम – जिनमें इस प्रकरण के समान संशोधन भी सम्मिलित होंगे – के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा। कर्मचारियों को वर्धित अधिवर्षिता आयु का निहित अधिकार तभी प्राप्त होगा जब राज्य सरकार के अनुमोदन के उपरांत सेवा-विनियमों का उपांतरण किया जाए, और सरकार द्वारा विहित ऐसी तिथि से। 30 सितंबर 2012 को निर्गत सरकारी आदेश का पैरा 1(ii) स्पष्ट एवं असंदिग्ध शब्दों में यह उल्लेख करता है कि आदेश भविष्यलक्षी रूप से प्रवृत्त होगा। सरकारी आदेश को भूतलक्षी प्रभाव तभी दिया जा सकता है जब स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो अथवा आवश्यक विवक्षा से अनुमानित किया जा सके। अतः, प्रतिवादी-कर्मचारी यह निहित अधिकार अभिकथित नहीं कर सकते थे कि सेवानिवृत्ति आयु में वर्धन उस तिथि से प्रभावी किया जाना चाहिए जिस तिथि को नोएडा ने सरकार के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने का संकल्प किया था।"

(बल दिया गया)"

17. जहाँ तक परिशिष्ट-B आदर्श करार प्रपत्र-II के खंड-11 पर अवलंब का प्रश्न है जो नियुक्ति-आदेश का अभिन्न अंग होने के नाते सेवा-शर्तों में परिवर्तन का लाभ प्रदान करता है, वह रिट याचिकाकर्तागण के लिए सहायक या उपयोगी नहीं है, विशेषतः जब लाभ केवल याचना मात्र से अभिप्रदत्त नहीं किए जा सकते, अपितु वे पदावधि के विस्तार का उपबंध करने वाले दिशा-निर्देशों में उल्लिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन हैं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



18. इसके अतिरिक्त, यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अधिकारिता के प्रयोग में न्यायिक आदेश द्वारा प्रतिवादियों को अपने ही उपबंधों का उल्लंघन करने का निर्देश नहीं दे सकता।

19. इतना ही नहीं, दिशा-निर्देश दिनांकित 13.08.2024 के खंड-3(d), जो 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पूर्वतर हो, का उपबंध करता है, को प्रश्नगत नहीं किया गया है।

20. जहाँ तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **बी. प्रभाकर राव एवं अन्य (उपरोक्त)** के निर्णय पर रखे गए अवलंब का प्रश्न है, वह लागू नहीं होता क्योंकि वह विभेद्य है। यहाँ वर्तमान प्रकरण में कोई अतार्किक वर्गीकरण नहीं है।

21. इतना ही नहीं, **मनीष गुप्ता एवं अन्य (उपरोक्त)** का निर्णय भी विभेद्य है और **षष्ठी दत्त शास्त्री एवं अन्य (उपरोक्त)**, पर रखा गया अवलंब भी भ्रान्तिपूर्ण है।

22. विधि की चतुःसीमाओं के भीतर प्रकरण पर विचार करने पर, अनिवार्य निष्कर्ष यह निकलता है कि रिट याचिकाकर्तागण यह प्रदर्शित करने में पूर्णतः विफल रहे हैं कि प्रतिवादियों द्वारा उन्हें 65 वर्ष की आयु तक सेवा जारी रखने की अनुमति न दिए जाने में कोई अवैधता कारित की गई है।

22. तदनुसार, रिट याचिकाएँ **अस्वीकृत** की जाती हैं।

10 फरवरी, 2026

आश

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"